संख्या:17/2021/560/46-1-21-1000(12)/2020

प्रेषक,

बच्चू लाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी,
सहारनपुर, मुज़फ्फरनगर, शामली, मेरठ, बागपत, बुलन्दशहर, बिजनौर, बरेली
पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर-खीरी, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या,
बलरामपुर, बहराइच एवं बस्ती।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 25 मार्च, 2021

विषय- जिला योजना वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 (एस.सी.एस.पी.) के अन्तर्गत अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण कार्य सम्बन्धी कार्ययोजना की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र. के पत्र संख्या 142(2)/12-निर्माणः अ.ग्रा., दिनांक 13.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्रों में यातायात की सुगम व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने हेतु अंशदायी आधार पर कृषि विपणन सुविधाओं के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण में निर्धारित फण्डिग पैटर्न 80:20 के अनुसार राज्यांश के रूप में, चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित राज्यांश की धनराशि रू.375.00 लाख के सापेक्ष परिषद अंश सम्मिलित करते हुए कृषि विपणन सुविधाओं के लिए कुल 19 सम्पर्क मार्गों का निर्माण कार्य कराने हेतु संलग्नक-1 में 18 सम्पर्क मार्गों के स्तम्भ-6 में अंकित संशोधित लागत रू. 408.488 लाख एवं 01 नये सम्पर्क मार्ग (संलग्नक-2 के अनुसार) की लागत रू.40.374 लाख सम्मिलित करते हुए अर्थात् कुल धनराशि रू.448.862 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए शासनादेश संख्या-33/2021/1720/46-1-20-1000(12)/2020, दिनांक 10.12.2020 के संलग्नक में स्वीकृत मार्गों की धनराशि रू.375.00 लाख, 1 सम्पर्क मार्ग (संलग्नक-3 के अनुसार) का निरस्तीकरण करते हुये उसकी स्वीकृत धनराशि सहित, का समायोजन/ पुर्नआवंटन करने के उपरान्त संलग्नक-1 के स्तम्भ-7 में 18 सम्पर्क मार्गों (01-निरस्त सम्पर्क मार्गों के अतिरिक्त) हेतु धनराशि रू.326.749 लाख एवं संलग्नक-2 में उल्लिखित 01 नये सम्पर्क मार्ग (संलग्नक-2 के स्तम्भ-7 के अनुसार) हेतु एकमुश्त धनराशि रू.32.295 अर्थात् कुल धनराशि रू.359.044 लाख (रूपये तीन करोड़ उनसठ लाख चार हजार चार सौ मात्र) की संशोधित/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पुनरीक्षित वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) परिषद अंश की धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपरान्त ही जनपद विशेष के लिए स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष उसी सीमा तक धनराशि आहरित की जायेगी, जिस सीमा तक जनपद की जिला योजना में धनराशि का प्राविधान/आवंटन किया जा रहा है।

(2) जिला गन्ना अधिकारी/ बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा राज्यांश का भुगतान तभी किया जायेगा जब सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किये गये आगणनों के अनुसार ही व्यय किया गया होने की पुष्टि कर दी जाय।

(3) कार्य की विशिष्टियॉ मानक व गुणवत्ता के साथ कराये जाने की जिम्मेदारी संबंधित कार्यदायी संस्था तथा जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी की होगी। निहित प्रयोजन से यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो उसे व्यय करने के संबंध में प्रस्तर-1 के अनुसार शासकीय अंशदान के सापेक्ष जिला अनुश्रवण समिति के अतिरिक्त कार्ययोजना स्वीकृत कराकर उस पर शासन का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। अन्यथा की स्थिति में अवशेष धनराशि चालू वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित की जायेगी।

(4) समस्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था, अभियंत्रण शाखा कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. होगी। समस्त कार्य निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों तथा विशिष्टियों के अनुरूप चालू वित्तीय वर्ष में सम्पादित कराये जायेंगे। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित मानकों/विशिटियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो उक्त परिवर्तन/विचलन स्वीकृत मूल आगणन में 5 प्रतिशत की सीमा तक अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार विचलन जिला गन्ना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता की संस्तुति पर अधीक्षण अभियन्ता द्वारा तथा 5 प्रतिशत से अधिक के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु स्वीकृति अधीक्षण अभियन्ता की संस्तुति पर मुख्य अभियन्ता के द्वारा इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जायेगी कि प्रस्तावित कार्यों के विचलन/व्याधिक्य पूर्ति हेतु बजटीय प्राविधान संबंधित जनपद के अन्तर्गत उपलब्ध है।

(5) सेंटेज चार्जेज की धनराशि शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011-17(4)/75, दिनांक 25-01-2011 तथा शासनदेश संख्या-ए-1606/दस-2014-17(4)/75, दिनांक 11-11-2014 की व्यवस्थानुसार अनुमन्य होगी। शासनादेश के संलग्नक-1 के कालम-8 एवं संलग्नक-2 के कालम-7 में अंकित सेटेंज की धनराशि जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरित कर सीधे ही कार्यदायी संस्था, अभियन्त्रण शाखा, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र. को दी जायेगी।

(6) उक्त योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुदान बजट में निर्धारित सीमा के अन्दर किया जायेगा तथा योजना के संचालन का मूल्यांकन करते हुए उसकी रिपोर्ट शासन/वित्त विभाग को वित्तीय वर्ष की समाप्ति (दिनांक 31.03.2021) से पूर्व अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(7) आवंटित धनराशि को किसी ऐसे मद में न व्यय किया जाय, जिसके लिए फाइनेन्शियल हैन्ड बुक/बजट मैनुअल तथा स्टोर परचेज के नियम के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। ऐसा व्यय अपेक्षित स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जाय। इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24-03-2020 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों तथा बजट मैनुअल के प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से एप्रेजल (Appraisal) एवं तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(9) स्वीकृति धनराशि प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में व्यय की जायेगी जिस कार्य/मद हेतु स्वीकृत की गयी है। ऑकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता सुनिश्चित करेंगे।

(10) यह सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत किये जा रहे इस कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है।

(11) कार्य की विशिष्टयॉ मानक व गुणवत्ता आदि सुनिश्चित किया जायेगा तथा यथासमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) योजना में निहित राज/सहायता अनुदान का लेखा-जोखा रखने तथा प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/व्यय-विवरण महालेखाकार, प्रयागराज तथा वित्त विभाग एवं शासन को नियमित रूप से उपलब्ध कराने एवं महालेखाकार, प्रयागराज से लेखाओं के नियमित मिलान की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी/वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ का होगा।

(13) स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर धनराशि का आहरण निर्माण कार्य हेतु तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही आवश्यक धनराशि आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्थाओं को उपलब्ध करायी जाय। आहरित धनराशि बैंक/पी.एल.ए./पोस्ट आफिस अथवा डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(14) शासनादेश के अनुसार स्वीकृत निर्माण कार्यों के सापेक्ष प्रस्तावित कार्य को पूर्ण कर लिये जाने पर पारदर्शिता तथा सामान्यजन को पूर्ण जानकारी प्राप्त होने के दृष्टिगत पूर्ण कार्यों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर जनपदीय अधिकारियों के द्वारा अनिवार्य रूप से अपलोड भी किया जायेगा।

2. उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक "5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04-जिला तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्य सड़कें-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-07-अंशदायी आधार पर कृषि विपणन के लिये निर्मित सम्पर्क मार्गों का सुदृढ़ीकरण-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231 /2020, दिनांक 24-03-2020 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/आदेशों में प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

(संलग्नक-उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

बच्चू लाल

संयुक्त सचिव।

संख्या:17/2021/560(1)/46-1-21-1000(12)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ.प्र., प्रयागराज।
3. महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ.प्र., छठां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
4. गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र., लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संदर्भित धनराशि/बजट को सेन्ट्रल सर्वर के माध्यम से जनपदों को आवंटित करने का कष्ट करें।
6. संबंधित जनपदों से सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7. संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी।
8. संबंधित जनपदों के कोषाधिकारी।
9. संबंधित क्षेत्रीय उप गन्ना आयुक्त/संयुक्त गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
10. नियोजन अनुभाग-4/ राज्य योजना आयोग-1/2,
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, ।
12. बजट प्रकोष्ठ/कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुशील कुमार शुक्ल

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:17/2021/560/46-1-2021 दिनांक 25 मार्च, 2021 का संलग्नक-1

क्रं. सं.	जनपद	सं.	मार्ग का नाम	संशोधित			सेन्टेज की धनराशि (लाख रू-)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित धनराशि (लाख रू-)
				लम्बाई (कि.मी)	अनुमानित लागत (लाख रू.)	राज्यांश की धनराशि (लाख रू.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सहारनपुर	1	गागलहेडी नागल रोड से खजूरी अकबरपुर मार्ग	1.000	32.771	26.214	2.887	23.327
		1	**योग जनपद**	**1.000**	**32.771**	**26.214**	**2.887**	**23.327**
2	शामली	1	हिण्ड कैडी बाबरी मार्ग से महावतपुर कैडी मार्ग तक	1.165	41.072	32.853	3.618	29.235
		1	**योग जनपद**	**1.165**	**41.072**	**32.853**	**3.618**	**29.235**
3	मेरठ	1	किनौनी चीनी मिल गेट से चिरचिटा सम्पर्क मार्ग	1.000	52.470	41.971	4.622	37.349
		1	**योग जनपद**	**1.000**	**52.470**	**41.971**	**4.622**	**37.349**
4	बागपत	1	ग्राम फतेहपुर माजरा–अमीनगर सराय रोड़ से फतेहपुर माजरा होते हुऐ बिलोचपुरा मार्ग द्वितीय भाग।	0.345	10.513	8.409	0.926	7.483
		1	**योग जनपद**	**0.345**	**10.513**	**8.409**	**0.926**	**7.483**
5	बुलन्दशहर	1	स्याना सैदपुर मार्ग से महाब तक द्वितीय भाग।	0.350	13.480	10.783	1.187	9.596
		1	**योग जनपद**	**0.350**	**13.480**	**10.783**	**1.187**	**9.596**
6	बिजनौर	1	चान्दपुर नूरपुर मार्ग से काजीशौरा–रूकनपुर मार्ग अवशेष भाग	1.000	36.554	29.240	3.220	26.020
	बिजनौर	2	बुआपुर नत्थू से अजीतपुर दासी	0.810	26.055	20.841	2.295	18.546
		2	**योग जनपद**	**1.810**	**62.609**	**50.081**	**5.515**	**44.566**
7	बरेली	1	सिधौली से संग्रामपुर	0.700	18.960	15.166	1.670	13.496
		1	**योग जनपद**	**0.700**	**18.960**	**15.166**	**1.670**	**13.496**
8	पीलीभीत	1	पस्तौर कुईया से फिरसा द्वितीय भाग	0.400	13.402	10.720	1.181	9.539
		1	**योग जनपद**	**0.400**	**13.402**	**10.720**	**1.181**	**9.539**
9	शाहजहांपुर	1	पुवायां खुटार रौड करनापुर से जेवा मार्ग भाग–1	0.300	13.913	11.129	1.226	9.903
		1	**योग जनपद**	**0.300**	**13.913**	**11.129**	**1.226**	**9.903**
10	लखीमपुर खीरी	1	पलिया खुर्द बडागॉव सम्पर्क मार्ग	0.850	32.212	25.766	2.837	22.929
	लखीमपुर खीरी	2	लखीमपुर मोहम्मदी मार्ग से कुम्भी चीनी मिल चौराहे तक वाया कुम्भी ग्राम प्रथम भाग	0.500	20.041	16.031	1.765	14.266
		2	**योग जनपद**	**1.350**	**52.253**	**41.797**	**4.602**	**37.195**
11	सीतापुर	1	पिपरझला शारदा नहर पुल से केदारखेंडा मार्ग	0.550	27.364	21.888	2.410	19.478
		1	**योग जनपद**	**0.550**	**27.364**	**21.888**	**2.410**	**19.478**
12	हरदोई	1	उधरनापुर से भैलामऊ मार्ग भाग–1	0.365	17.206	13.763	1.516	12.247
		1	**योग जनपद**	**0.365**	**17.206**	**13.763**	**1.516**	**12.247**
13	अयोध्या	1	ददेरा अलावलपुर सम्पर्क मार्ग से अलावलपुर (साधु का पुरवा)	0.410	19.032	15.224	1.676	13.548
		1	**योग जनपद**	**0.410**	**19.032**	**15.224**	**1.676**	**13.548**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14	बलरामपुर	1	चमरबोझिया मार्ग से नचौरी घघरा मार्ग का द्वितीय भाग	0.255	13.028	10.421	1.148	9.273
		1	**योग जनपद**	**0.255**	**13.028**	**10.421**	**1.148**	**9.273**
15	बहराइच	1	गूढा उर्रा से कंचनपुरवा गॉव	0.250	9.755	7.803	0.859	6.944
		1	**योग जनपद**	**0.250**	**9.755**	**7.803**	**0.859**	**6.944**
16	बस्ती	1	गौर बभनान मार्ग से गन्ना समिति होते हुये पैकोलिया शिवाघाट मार्ग तक मरम्मत कार्य द्वितीय भाग	0.230	10.660	8.527	0.939	7.588
		1	**योग जनपद**	**0.230**	**10.660**	**8.527**	**0.939**	**7.588**
		18	**महायोगः–**	**10.480**	**408.488**	**326.749**	**35.982**	**290.767**

(रूपये तीन करोड़ छब्बीस लाख चौहत्तर हजार नौ सौ मात्र)

सुशील कुमार शुक्ल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:17/2021/560/46-1-2021, दिनांक 25 मार्च, 2021 का संलग्नक-2

क्र.	जनपद का नाम	सं.	सम्पर्क मार्ग का नाम	लंबाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (ला.रू.)	शासनादेश के अनुसार लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला.रू.)	सेन्टेज की कुल धनराशि धनराशि (ला.रू.)	मार्ग के निर्माण हेतु सेन्टेज रहित कुल धनराशि (ला.रू.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मु. नगर	1	शुक्रतारी से बाबूचर पीर मार्ग का शेष भाग वाया भौकरहेडी	1.480	40.374	32.295	3.556	28.739

(रूपये बत्तीस लाख उनतीस हजार पांच सौ मात्र)

सुशील कुमार शुक्ल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:17/2021/560/46-1-2021, दिनांक 25 मार्च, 2021 का संलग्नक-3

क्र.	जनपद का नाम	सम्पर्क मार्ग का नाम	शासनादेशानुसार स्वीकृत		
			लंबाई (कि.मी.)	अनुमानित लागत (ला.रू.)	लागत पर देय राज्यांश की धनराशि (ला.रू.)
1	2	3	4	5	6
1	मु. नगर	ककरौली से दरियापुर मार्ग से गंगदासपुर मार्ग	1.480	46.257	36.810

(रूपये छत्तीस लाख इक्यासी हजार मात्र)

सुशील कुमार शुक्ल
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

4- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है